उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-02/2020/3018/71-2-19-आर0एम0-23/2016

लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2020

<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-65/2019/2860/71-2-19-आर0एम0-23/2016, दिनांक 18-12-2019 द्वारा संस्थान के वृहद निर्माण हेतु प्रावधानित अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) से रू0 3160.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) से रू0 840.00 लाख अवमुक्त किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 18-12-2019 के प्रस्तर-5 की तृतीय, एवं सप्तम पंक्ति में उल्लिखित **"आयोजनागत" को विलोपित** किया जाता है एवं प्रस्तर-5 की चतुर्थ पंक्ति में अंकित "एलोपैथी-0325-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-" के स्थान पर **"एलोपैथी-04**-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-" **पढा व समझा जाय।**

2- उक्त शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 के प्रस्तर-5 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

डा0 रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2020/3018(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।